रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1988/पौष 28, 1909
No. 34] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 1988/PAUSA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 42(अ):—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श के बाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) प्रथम संशोधन नियमावली, 1988 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 में नियम 3(3)(ii) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा:—

"(ii) किसी पदोन्नत अधिकारी के आबंटन वर्ष का निम्न प्रकार नियतन किया जाएगा:—

(क) राज्य सिविल सेवा में, उप-कलैक्टर के स्तर पर अथवा उसके समकक्ष पद पर, पहले 12 वर्षों में की गई सेवा के लिए उसे आबंटन वर्ष निर्धारित करने के प्रयोजन से चार वर्ष का लाभ दिया जाएगा;

(ख) किसी पदोन्नत अधिकारी को उप-धारा (क) में उल्लिखित बारह साल की अवधि के बाद पूरे किए गए प्रत्येक तीन साल के लिए भी एक साल का लाभ दिया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि यह लाभ पांच साल से अधिक नहीं होगा। ऐसी गणना करते समय वर्ष के अंशों को नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) उप-धारा (ख) में उल्लिखित लाभ की गणना उस वर्ष से की जाएगी जिस वर्ष अधिकारी को सेवा में नियुक्त किया जाता है:

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पदोन्नत अधिकारी को उसी प्रवर सूची में उससे किसी वरिष्ठ अधिकारी को, अथवा किसी पहली प्रवर सूची के आधार पर सेवा में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को दिए गए आबंटन वर्ष से पहले का कोई आबंटन वर्ष नहीं दिया जाएगा।"

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 का नियम 3(4) विलोपित कर दिया जाएगा।

[सं. 14014/17/86-अ.भा.से. (1)]
आर० चटर्जी, उप-सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 18th January, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of States, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) First Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the IAS (Regulation of Seniority) Rules, 1987 Rule 3(3)(ii) shall be amended as below :

"(ii) The year of allotment of a promotee officer shall be determined in the following manner :—

(a) For the service rendered by him in the State Civil Service upto twelve years, in the rank not below that of a Deputy Collector or equivalent, he shall be given a weightage of four years towards fixation of the year of allotment.

(b) he shall also be given a weightage of one year for every completed three years of service beyond the period of twelve years, referred to in sub-clause (a), subject to a maximum weightage of five years. In this calculation, fractions are to be ignored:

(c) the weightage mentioned in sub clause (b), shall be calculated with effect from the year in which the officer is appointed to the service :

Provided that he shall not be assigned a year of allotment earlier than the year of allotment assigned to an officer senior to him in that select list or appointed to the service on the basis of an earlier Select List."

3. Rule 3(4) of the IAS (Regulation of Seniority) Rules, 1987 shall be deleted.

[No. 14014/17/86-AIS(1)]
R. CHATTERJEE, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988